दाण्डिक अपील संख्या - 1033/1992

सी.जे.पी.एल 50000 आई-79 यूगल पीठ (दाण्डिक)

कैदी की अपील

संख्या – 79 नाम - बुधन राम

पिता का नाम - पुमई राम उरांव

निवास - गुडके आयु - 40 वर्ष

सज़ा सुनाई गई - आजीवन कारावास दिनांक 05-09-1992

अंतर्गत धारा 392 भा.द.वि. द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (1) रायगढ़

जुर्माने की राशि का भुगतान का चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कैदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह कहता है कि वह किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहता है तो अपीलीय न्यायालय सात दिनों तक मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि विधिक व्यवसायी भी उपस्थित न हो। यदि विधिक व्यवसायी सात दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है यदि कैदी कहता है कि वह विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाना चाहता है तो न्यायालय मामले को तुरन्त आगे बढ़ा सकता है और किसी भी विधिक व्यवसायी को सुनवाई देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उपस्थित होना चाहता है।

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि	-	शून्य
2.प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि	-	05-09-1992
3. अपील भेजने की तिथि	-	05-09-1992
4.कैदी पेश होना चाहता है या नहीं	–	नहीं

संख्या – एक सौ नब्बे नाम - बुधन राम

जारी - रायगढ़

जेल_____

संख्या – 1075 दिनांक 05-09-1992

डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़

मामले में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति उचित अपीलीय न्यायालय - मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर को भेजने के लिए एकत्र करना।

अधीक्षक

उपायुक्त कार्यालय में प्राप्ति की तिथि - 09-09-1992

साथ में दिए जाने वाले की अभिलेख प्राप्ति की तिथि_____

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलीय न्यायालय का अपील ज्ञापन._____

संख्या- क्यू/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ दिनांक 09-1992

सत्र न्यायाधीश रायगढ़ को प्रस्तुत किया गया

उपायुक्त

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि – 09-09-1992

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या - 1033/1992

बुधन राम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विचार के लिए निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

माननीय श्री फखरुद्दीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

को सूचीबद्ध करे- 28-10-2005

सही/-
न्यायाधीश
28-10-2005

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील संख्या 1033/1992

बुधन राम

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

कोरम:- माननीय श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: - श्री जमील अख्तर लोहानी और श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अभियुक्त-अपीलकर्ता के वकील, राज्य के लिए पैनल वकील। श्री अखिल मिश्रा।

निर्णय

{दिनांक **28-10-2005** को सुनाया गया**)**

प्रति दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

1- यह अपील श्री डी.आर.राहुल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक **44/1992** में पारित निर्णय दिनांक **05.09.1992** के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को अपनी पत्नी तर्सिला बाई की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा–**302** के तहत के तहत सिद्धदोष किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और **100/-**रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे अदा न

करने पर अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया।

2- यह **आक्षेपित** नहीं है मृतक तर्सिला बाई अपीलकर्ता की पत्नी थी।

3- अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 17-11-1991 को शाम करीब 7 बजे, अपीलकर्ता और उसकी पत्नी तर्सिला बाई शराब पी रखी थी. इसके बाद वहां झगड़ा शुरू हो गया जिस पर अपीलकर्ता ने तर्सिला बाई को लात-घूसों से पीटना शुरू कर दिया. फुलो बाई अ.सा.-2 जिसने घटना देखी, उसने पूछा अपीलकर्ता को तर्सिला बाई की पिटाई करने से रोकने के लिए कहा गया लेकिन अपीलकर्ता ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और तर्सिला को पीटना जारी रखा । तर्सिला बाई चोटों के कारण मर गईं। दिनांक 18-11-1991 को अपीलार्थी फुलो बाई अ.सा.-2 और दिले राम अ.सा.-3 के पास गया और एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति किया कि उसने अपनी पत्नी तर्सिला बाई की हत्या कर दिया है। सुब्रण राम अ.सा.-1 अपीलकर्ता के भाई ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। प्र.पी-2. उपनिरीक्षक इदला मौर्य अ.सा. द्वितीय मौके पर पहुंचे और प्र.पी-7 के तहत जांच तैयार की और शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया। डॉ. वाई.के.टोप्पो अ.सा.-12 जिन्होंने शव परीक्षण किया शव परीक्षण में व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं तरशिला बाई : -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ए) चेहरे के दोनों तरफ दो खरोंचें, नीला-काला रंगीन, आँख (दोनों) और कान (दोनों) के बीच, 2" अंडाकार त्वचा के लिए सतही.ऊपरी होंठ के मध्य में अंदर की ओर 1x1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

(बी) चेहरे की ठोड़ी पर घाव है, यह खून से भी सना हुआ है, आकार 11 सेमी है।

(सी) दाएं और बाएं दोनों कंधों पर खरोंच, त्वचा के सतही भाग पर 2 इंच का अंडाकार, रंग लाल-काला।

(डी) दाएं और बाएं दोनों हाथों पर घर्षण, 2-1 सेमी आकार के कई निशान।

(ई) चेहरे के दोनों तरफ दो खरोंचें, नीला-काला रंगीन, आँख (दोनों) और कान (दोनों) के बीच, 2" अंडाकार त्वचा के लिए सतही.

(एफ) दाएं और बाएं दोनों पैरों पर घर्षण, 2x2 सेमी की संख्या में, लाल–काले रंग का।

(जी) शरीर पर खरोंच, छाती से पेट तक कई जगह 2x2 सेमी, रंग लाल–काला।

(एच) दाएं और बाएं दोनों तरफ लाल–काले रंग का मलिनकिरण पेट का Iliac फोसा 3x2 इंच लंबाई और चौड़ाई में।

(आई) दोनों ग्लूटियल क्षेत्र पर घर्षण। लाल काला 2x2 इंच आकार का।

(जे) पीठ पर कई खरोंचें और त्रिकास्थि क्षेत्र पर एक प्रमुख खरोंच। इसका आकार 4" अंडाकार है। रंग लाल–काला है।

आंतरिक जांच के दौरान उन्होंने पाया कि दोनों इलियाक फोसा एक्चिमोस्ड थे और उनका मत था कि तर्सिला बाई की मौत ऊपर वर्णित बाहरी चोट संख्या 8 के कारण न्यूरोजेनिक शॉक के कारण हुई थी और यह मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। जांच पूरी होने के बाद अपीलकर्ता पर धारा–302 अन्य भा.द.वि. के तहत मुकदमा चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियुक्त–अपीलकर्ता ने दोष से इन्कार कर दिया, बचाव में खुद को निर्दोष बताया और दलील दी कि तर्सिला बाई को चक्की पर गिरने के कारण चोटें आई थीं। ट्रायल जज ने फुलो बाई अ.सा.-2, दिले राम अ.सा.-3 और डॉ. टोप्पो अ.सा.-12 के साक्ष्य पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा–302 के तहत दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त दण्डादेश दिया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता का यह बचाव कि तर्सिला बाई को चक्की के पत्थर पर गिरने के कारण कारित चोटें , पैरा-3 में फूलो बाई अ.सा.-2 और पैरा-6 में डॉ. टोप्पो अ.सा.-12 की गवाही की दृष्टि में संभाव्य है। इसके विपरीत, उन्होंने तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरी तरह से भरोसा किया जाए, तो भी अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा-304 भाग-2 से आगे नहीं जा सकता। तर्सिला बाई को लगी चोट ने

स्पष्ट रूप से इस संभावना को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने नशे की हालत में उसकी हत्या करने का इरादा किया था। अपीलकर्ता 19-11-1991 से जेल में था और इस प्रकार लगभग 14 वर्षों तक कारावास में रहा। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि अपीलकर्ता द्वारा पहले ही काटी गई सजा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल वकील ने आक्षेपित फैसले के समर्थन में तर्क दिया।

6. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और अभिलेख देखा है, फूलो बाई अ.सा.-2 ने कहा है कि अपीलकर्ता और तर्सिला बाई दोनों ने शराब पी रखी थी और झगड़ रहे थे। आरोपी-अपीलकर्ता तर्सिला बाई को पीट रहा था। उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन अपीलकर्ता ने उसे धक्का दे दिया और तर्सिला बाई को पीटना जारी रखा। हालाँकि जिरह में उसने कहा है कि तर्सिला बाई को आंगन में चक्की के पत्थर पर गिरने के कारण चोट लगी थी, फिर भी विचारण न्यायालय ने तर्सिला बाई को लगी कई चोटों के दृष्टिकोण में इस बयान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। फूलो बाई अ.सा.-2 की जिरह में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी गवाही को बदनाम करे या उसे विश्वास के अयोग्य ठहराए। उसकी गवाही को डॉ. टोप्पो अ.सा.-12 से पूरी तरह से पुष्टि मिलती है, जिन्होंने तर्सिला बाई को लगी कई चोटों को साबित किया है और कहा है कि तर्सिला बाई की मौत चोट संख्या 8 के परिणामस्वरूप न्यूरोजेनिक शॉक के कारण हुई थी, यानी दाएं और बाएं दोनों लिंटल फोसा और पेट की लंबाई और चौड़ाई 3x2 इंच पर लाल-नीले रंग का मलिनकिरण, तर्सिला बाई को लगी चोटों से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उसे अपीलकर्ता ने लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा था। फूलो बाई अ.सा.-2, दिले राम अ.सा.-3 की गवाही कि अगले दिन सुबह, अपीलकर्ता ने उनके सामने अपनी पत्नी तर्सिला बाई की हत्या करने का न्याकोतर स्वीकारोक्ति, पूरी तरह से अप्रतिबंधित है। प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से नहीं की गई थी या किसी तरह की धमकी या वादे के तहत की गई थी। फुलो बाई अ.सा.-2 और डॉ. टोप्पो अ.सा.-12 की गवाही पर विचार करने के बाद, हम इस राय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर पहुँचे हैं कि विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता ने ही तर्सिला बाई की मौत का कारण बनाया था।

7– एकमात्र बिंदु जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि अपीलकर्ता ने क्या अपराध किया था। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता के पास तर्सिला बाई की हत्या करने का मकसद था। फुलो बाई अ.सा.-2 की गवाही से पता चलता है कि अपीलकर्ता और तर्सिला बाई घटना के समय बहुत नशे में थे और झगड़ रहे थे। तर्सिला बाई को लगी चोटों से पता चलता है कि मौत न्यूरोजेनिक शॉक के कारण हुई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इलियक फोसा पर चोट संख्या 8। सुनील कुमार जाचक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) के मामले में [2004 (2) एम.पी.एच.टी.-47 (सीजी)] में रिपोर्ट की गई, आरोपी ने अपनी पत्नी पर लकड़ी के हथौड़े से हमला किया था। शवपरीक्षण जांच में उसके शरीर पर 14 चोटें पाई गईं। दोनों तरफ की दो पसलियां टूटी हुई थीं। दाहिना फेफड़ा फट गया था। मृतक की मौत वक्ष क्षेत्र में चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। यह माना गया कि अपराध भा.द.वि. की धारा-304 भाग-II से आगे नहीं जाता है और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। <u>थंकाचन बनाम केरल राज्य के मामले में **[2005 ए.आई.आर.-एस.सी.डब्लू.-4577]**</u> में रिपोर्ट की गई, आरोपी नशे की हालत में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। बेटे ने बीच-बचाव किया। आरोपी ने एक चॉपर उठाया और बेटे के पैर पर वार किया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। यह माना गया कि आरोपी की मंशा मौत कारित करने की नहीं थी और दोषसिद्धि को भा.द.वि. की धारा-304 भाग-II में बदल दिया गया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

8– उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि घटना के समय अपीलकर्ता और उसकी पत्नी दोनों ही नशे की हालत में थे और झगड़ रहे थे। अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को लात-घूंसों से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु न्यूरोलॉजिकल शॉक के कारण हुई, मुख्य रूप से पेट के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों में चोट लगने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के कारण। इसलिए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, तर्सिला बाई की मौत का कारण बनने के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, जिस तरह से अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी तर्सिला बाई को पीटा, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त को पता था कि तर्सिला बाई को लगी चोटों से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए, हमारी राय में अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध ज्यादा से ज्यादा भा.द.वि. की धारा-304 भाग-II के अंतर्गत दण्डनीय है।

9. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की धारा-302 के तहत दोषसिद्धि तथा उसके तहत दी गई सजा को रद्द किया जाता है। इसके बजाय अपीलकर्ता को धारा-304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जाता है। अपीलकर्ता 19-11-1991 से यानी लगभग 14 वर्षों से जेल में है। हमारी सुविचारित राय में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास पर्याप्त होगी। हम तदनुसार आदेश देते हैं। चूंकि, अपीलकर्ता ने पहले ही दी गई सजा काट ली है, इसलिए उसे तत्काल रिहा किया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by; Pradeep Kaiwart

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur